फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान सीतारामादि **बनाम** नारायण

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा–17**/20**19

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/1/2022	प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे 17 / 2019 (अस्थाई निषेधाज्ञा मे) तामिराला प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर अतिक्रमण व बाधा उत्पन्न न करने तथा रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर सभी पक्षकारान् की तामील पूर्ण करवाई गई व प्रतिवादी अधिवक्तागण को जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया। अप्रार्थीगण 4 लगायत 7 ने सभी सह खातेदारों के मध्य पूर्व में किये गये मनबट व हाल में कब्जानुसार एवं बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन किये जाने की सहमति जताई तथा प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 26.07.2022 को अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई, जिसमें उक्त लिखित तथ्य पुनः दोहराए गए। हमने पत्रावली का मनन कर पाया कि दिनांक 29.08.2019 को ग्राम केश्यावाला तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 01 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर03 / 95 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 8 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 10 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी, परन्तु अपने प्रार्थना पत्र में केवल प्रार्थी के हिस्से 1 / 12 की कृषि भूमि पर अतिक्रमण न स्वयं करे, न ही अन्य से करवाये, न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत् अनुतोष चाहा है। न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी का वाद घोषणा का है व अभी तक के प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि यदि प्रार्थी 1 / 12 हिस्से तक विवादग्रस्त भूमि में स्थगन न दिया गया तो वादो की बाहुल्यता हो सकती है व न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रथमदृष्टया यह वाद व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते हैं। अतः न्यायालय प्रतिवादीगण को, आदेशित करता है कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 01 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर03 / 95 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 8 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 10 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 20 [illegible] हिस्से 1 / 12 की कृषि भूमि पर अतिक्रमण न स्वयं [illegible] न [illegible] अन्य से करवाये, न किसी प्रकार की [illegible] की यथा स्थिति बनाये रखें [illegible] की जाकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27/7/22 को सुनाया गया। अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:04:39 IST
Reason: SelfAttested